

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा


सृष्टि

आदि

भतेरी आदि

किसम मुकदमा - 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर - 79/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भंग इतिहास जज	नम्बर व तारीख फॉर्म अहकाम की हुकम की लागू जारी हुआ
24 09 2024	<p>आज यह रथगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिमेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रथगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस एवं प्रस्तुत दरतावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रोही मौजा बक 3 एएमएस के खाता स0 14/11 की कुल 2.656 है0 कृषि भूमि में दर्ज भतेरी पत्नि बालाराम 801/5312 हिस्सा, मुकेश पत्नि कृष्ण कुमार 801/5312 हिस्सा एवं सृष्टि पुत्री कृष्ण कुमार 801/5312 हिस्सा में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, वाफ्कोस कार्य DII.RMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु 7 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एवं आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.10.2024 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> 24-09-24</p>	
21/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिवक्ता: <u>भवराज ल</u> दिनांक: 21/10/24 को पेश हो।</p>	
21/10/24	<p>पत्रावली पेश 5 ही वकील पक्षी व अपक्षी उपस्थित पत्रावली वाले पक्ष अपक्षी दिनांक 10/10/24 को पेश हो।</p>	
10/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्षी उपक्ष। पत्रावली वाले पक्ष अपक्षी दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p>	
21/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिवक्ता: <u>अ.य. वाला मे वस्ता</u> दिनांक: 21/10/24 को पेश हो।</p>	

21/9/25

पत्रावली पत्र पूर्ण पंजीकृत
अंकित 24.9.25 को जारी किया
दिनांक 17/6/25 को भेजा है।

17/6/25

पत्रावली पत्र पूर्ण पंजीकृत
अंकित 24.9.25 को जारी किया
दिनांक 17/6/25 को भेजा है।

11/9/25

वकील शर्मा उपस्थित। शर्मा स्वयं उपस्थित
शर्मा के शर्मा - पर पर पत्रावली को
पेशी में लिया गया। शर्मा ने विवेक
किया कि पत्रावली में तहसीलदार भादरा
को वर्तमान पत्रकार संयोजित नहीं किया
गया। अतः प्रकरण को वर्तमान शहर
पर विद्वान् कला चाहते हैं।

अतः शर्मा के विवेक पर पत्रावली
में जारी दिनांक 24.9.25 को अन्तर्गत
निष्पत्ती को निरस्त करते हुए पत्रावली
को वर्तमान शहर पर शर्मा किया
गया है। पत्रावली नभए से कम को जारी
बाद वकील शर्मा वाद के सुलभ है।

उपखण्डधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

(KALPIT SHARMA)

मुझे कृपया
पत्रावली में कौरी
शर्मा को नहीं
रहनी
A.B.R.
